न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 101/2015

1 लेखूराम उम्र 53 वर्ष पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी महती की ढ़ाणी तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 गिरधारी उम्र व्यस्क पुत्र चिमनाराम।
2 श्रीमती चनणा पत्नी सरदाराराम।
3 मूलसिंह पुत्र सरदाराराम।
3/1 परमेश्वरी देवी पत्नी मूलचन्द।
3/2 सुनिल कुमारी पुत्री मूलचन्द।
3/3 पुजा कुमारी पुत्री मूलचन्द समस्त जाति जाट निवासीगण महती की ढ़ाणी तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
3/4 प्रदीप पुत्र मूलचन्द।
3/5 दीपक पुत्र मूलचन्द नाबालिग जरिये माता परमेश्वरी देवी पत्नी मूलचन्द जाति जाट निवासी महती की ढ़ाणी तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
4 श्रीमती राजकोर पुत्री सरदाराराम पत्नी राजवीर।
5 श्रीमती वेदकोर पुत्री सरदाराराम पत्नी सतकी समस्त जाति जाट निवासीगण आच्छापुर तहसील राजगढ़ जिला चूरू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (बन्च झुन्झुनूं)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी
चिड़ावा दिनांक 13.08.2015 बमुकदमा लेखूराम
बनाम गिरधारी आदि अन्तर्गत धारा 251ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा
नम्बर 125/2014

उपस्थिति :

1. श्री विनोद गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री गोरधन सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 06.02.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 125/2014 में पारित निर्णय दिनांक 13.08.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 181/79 वाके महती की ढ़ाणी तहसील चिड़ावा में जाने के लिए खसरा नम्बर 79 व 180/79 में से रास्ता कायम करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया था कि खसरा नम्बर 79,180/79 व 181/79 एक ही खसरा नम्बर 79 से बने है, जो तीन भाईयों के बीच बंटवारा होने से बने है। बंटवारा के बाद खसरा नम्बर 181/79 में जाने के लिए बंटवारे के समय तीनों भाईयों ने आपसी सहमती से खसरा नम्बर 79,180/79 व 181/79 में उत्तरी सीमा की तरफ रास्ता कायम किया था, जो प्रचलित है, जिसके कारण तहसीलदार चिड़ावा के आदेशानुसार पटवारी हल्का ने फर्द मौका रिपोर्ट दिनांकित 13.12.2014 अदालत मातहत में 07.01.2015 को पेश की है उसमें भी खेत खसरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नम्बर 79, 180/79 व 181/79 में उतरी सीमा के नजदीक प्रचलित रास्ता ई से डी दिखलाया है, जो तीनों भाईयों ने खसरा नम्बर 79 के बंटवारा के समय आपसी सहमती से कायम किया था जिसके बाद रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने इस रास्ते के पास अपना रिहायशी मकान बनाया तथा कुआं बनाकर विधुत कनेक्शन ले रखा है तथा रेस्पोडेंट नम्बर 2 लगायत 5 ने अपने रिहायशी मकान बना रखे है। लेकिन उसके बाद भी अदालत मातहत ने प्रचलित रास्ते के अलावा खसरा नम्बर 79 व 180/79 की दक्षिणी सीमा के पास रास्ता दिये जाने का आदेश देने में कानूनी भूल की है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है कि अपीलांट प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने पर उसे कोई ऐतराज नहीं है तथा अदालत मातहत में मुकदमा नम्बर 125/2014 में रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने स्वंय ने प्रचलित रास्ते की चौड़ाई 10 फिट का रास्ता खसरा नम्बर 180/79 तक खसरा नम्बर 79 में से कायम करने का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर रखा है। इस कारण भी अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.08.2015 निरस्त होने योग्य है। अदालत मातहत का आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क की भावना के विपरित है, जहां रास्ता प्रचलित हो उसे चौड़ा किया जाने का निवेदन हो वहां पर अलग जगह पर नया रास्ता कायम करने की मंशा अन्तर्गत धारा 251 क की नही रही है। इस कारण भी आदेश अदालत मातहत निरस्त होने योग्य है। अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रस्तावित रास्ता ही लघुतम है पूर्व में प्रचलित रास्ते को अवरूद्व कर दिया है ऐसी स्थिति में धारा 251ए के प्रावधान ही लागु होगें। सहमती से रास्ते बाबत कोई सहमती पत्र पत्रावली पर नही है। विचारण न्यायालय में

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन कर विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की साक्ष्य नही है। प्रस्तावित रास्ता ही लघुतम है पूर्व में प्रचलित रास्ते को अवरूद्व कर दिया है ऐसी स्थिति में धारा 251ए के प्रावधान ही लागु होगें। सहमती से रास्ते बाबत कोई सहमती पत्र पत्रावली पर नही है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन कर विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर